**भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै**
**मानव संसाधन प्रबंध विभाग**

**बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - उदगमंडलम (ऊटी) स्थित बैंक की संपत्ति (होलिडे होम) में सुविधा प्रबंध (केयरटेकिंग और केटरिंग) सेवाएं।**

**ई-निविदा सं.: आरबीआई/चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/4/25-26/ईटी/939**

निविदा (ई-निविदा सं.: आरबीआई/चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/4/25-26/ईटी/939) के अनुसार उक्त कार्य के लिए बोली-पूर्व बैठक 02 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में आयोजित की गई। बोली-पूर्व बैठक के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित स्टाफ सदस्य और फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:

| क्र.सं. | बैंक पदाधिकारियों का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री सुरेश कुमार वेणु | उप महाप्रबंधक |
| 2 | श्री टी आर राधाकृष्णन | सहायक महाप्रबंधक |
| 3 | श्रीमती कार्तिगा बी | प्रबंधक |
| 4 | श्री के रवि किरण | सहायक प्रबंधक |
| 5 | श्री युकेश अरविंद ए | सहायक |
| 6 | श्री गोकुल सी | सहायक |

| क्र.सं. | फर्म/कंपनी का नाम | प्रतिनिधि का नाम |
|---|---|---|
| 1 | मेसर्स लीवेस इंटेग्रटेड सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड | श्री आर कुमारगुरुबरन |
| 2 | मेसर्स चेरीष होस्पितलिटी सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड | श्री रत्नाकर बिस्वाल |

2. बैठक के दौरान उक्त कंपनियों / फर्म द्वारा पूछे गए प्रश्न और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं:

| क्र.सं. | प्रश्न / प्रस्ताव | आरबीआई पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 1. | बोली के किस हिस्से में प्रतिपूर्ति घटक जैसे, वेलकम किट्स, बेवरेज किट्स और समाचार पत्र की राशि कोट करना है? | बोलीदाता एमएसटीसी पोर्टल में निविदा के वित्तीय बोली भाग में प्रतिपूर्ति घटक कोट कर सकता है। |
| 2. | क्या एजेंसी का उदगमंडलम (ऊटी) में कार्यालय होना चाहिए? | हाँ, एजेंसी के पास अनिवार्य रूप से उदगमंडलम (ऊटी) में एक कार्यालय होना चाहिए। |
| 3. | क्या पर्यवेक्षकों और रसोइयों के लिए अनुभव प्रमाणपत्र या योग्यता प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है? | अनुभव प्रमाणपत्र/योग्यता प्रमाणपत्र पर्यवेक्षकों और रसोइयों के लिए उपलब्ध हो तो प्रस्तुत किया जा सकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | क्या सुरक्षा जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी बोली लगाने से पहले जमा करनी होगी? | सुरक्षा जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी को बोली लगाने से पहले जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सफल बोलीदाता द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले जमा करना आवश्यक है। हालांकि, सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र बोली लगाने के समय एमएसटीसी पोर्टल पर जमा करना चाहिए। |
| 5. | क्या एमएसएमई के लिए ईएमडी राशि जमा करने से छूट है? | एमएसएमई को ईएमडी राशि जमा करने से छूट नहीं है, क्योंकि निविदा मूल्य ₹10 लाख से अधिक है। |
| 6. | क्या लांड्री सेवाओं का ध्यान बैंक लेगा या एजेंसी? | लिनेन, बेडस्प्रेड, बेडशीट आदि की धुलाई एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए और तदनुसार सेवा शुल्क कोट किया जाना चाहिए। एजेंसी को मेहमानों के लिए लांड्री सेवाओं का प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। |
| 7. | केटरिंग के संबंध में, क्या निवासियों के भोजन का बिल बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा? | नहीं। मेहमानों द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों का खर्च स्वयं मेहमानों द्वारा वहन किया जाएगा। निवासियों के लिए मेनु और खाद्य दरों का निर्णय बैंक और सफल बोलीदाता द्वारा निविदा प्रदान करने के बाद आपसी रूप से लिया जाएगा। |

3. उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा होगा। बोली दस्तावेज में उल्लिखित अन्य निबंधन व शर्तें और विनिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। अत: इसे निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाएगा। बोली प्रस्तुत किए जाने के संबंध में यह माना जाएगा कि वह बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप है।

**क्षेत्रीय निदेशक**
**भारतीय रिज़र्व बैंक**
**चेन्नै**